Paper-II
DSE-2

INTERNATIONAL ORGANISATION
(अंतर्राष्ट्रीय संगठन)

Page No: ......
Date: .../.../...

Chapter-1

संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की उत्पत्ति एवं विकास

संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)

परिचय :- संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसके निर्माण के पीछे लीग ऑफ नेशन्स (League of Nations) 1920 के नाकामी को देखा जाता है। League of Nations प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसलिए बना ताकि भविष्य में कभी कोई विश्व युद्ध न हो। लेकिन विडंबना रही कि इसके 19 वर्षों के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। इस युद्ध ने League of Nations के औचित्य पर भी सवाल खड़ा कर दिया।

1944 में विश्व के चार प्रमुख देश (America, Soviet Union, Britain and China) डंबार्टन ओक्स सम्मेलन में भाग लेते है और वहीं विचार आता है संयुक्त राष्ट्र के गठन का। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को तैयार किया जाता है। यह चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ के ढाँचे एवं कार्यों का वर्णन करता है। 26 जून 1945 को 50 देशों ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किया। आगे चलकर 24 October 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र के सदस्यो ने इस चार्टर पर अपनी औपचारिक मोहर लगा दी तब जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ का औपचारिक गठन हुआ। हर वर्ष 24 October को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

Page No: ....
Date: ..../..../....

~~संक~~ संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं।
(i) महासभा
(ii) सुरक्षा परिषद्
(iii) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
(iv) आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्
(v) सचिवालय
(vi) न्यास परिषद् (1994 में स्थगित)

संयुक्त राष्ट्र संघ के कई ~~विशे~~ ~~विशेषीकृत~~ विशेषिकृत संस्थाएँ भी हैं। (Specialized Agencies)

उदाहरण के लिए :-
(i) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
(ii) अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन (ILO)
(iii) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)
(iv) खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)
(v) संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष (UNICEF)

संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण एक ऐसे समय पर हुआ था जब विश्व दो गुटों में बँटा हुआ था। एक तरफ था पूँजीवादी गुट और दूसरे तरफ था साम्यवादी गुट। उस दौर में यूरोप के अंदर युद्ध के कारण भीषण तबाही मची थी और वहाँ पर पुनर्निर्माण का काम जारी था। इन सब चुनौतियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र काम करता रहा। 1945 में इसके 51 सदस्य देश थे। और आज के समय में इसके 193 सदस्य देश हैं।

संयुक्त राष्ट्र के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं।
(i) विश्व शांति
(ii) वैश्विक सुरक्षा
(iii) सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग एवं विशेषिकृत संस्थाएं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। उस समय इसके 6 प्रमुख अंग थे। 1994 में न्यास परिषद् को सूची से हटा दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं जो निम्नलिखित हैं :-

1. महासभा (General Assembly) :- महासभा एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र का संसद है। इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। प्रत्येक देश के पास 1 वोट है। यहाँ पर सभी देशों के बीच समानता है और इसलिए कहा जाता है कि महासभा एक लोकतांत्रिक सभा है। महासभा में वैश्विक चर्चा किया जाता है। वाद-विवाद किया जाता है एवं संयुक्त राष्ट्र का बजट पारित किया जाता है।

2. सुरक्षा परिषद् (Security Council) :- इसे विश्व का पुलिस मैन (Policeman) कहा जाता है। इसका मूल कार्य है वैश्विक शांति बनाए रखना इसके लिए सुरक्षा परिषद् कुछ चीजों का प्रयोग करता है जैसे :- (i) प्रतिबंध (ii) शांति सेना (iii) निषेध अधिकार का प्रयोग

सुरक्षा परिषद् सही मायने में एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। क्योंकि इसमें विश्व के सभी देशों को सामान्य प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इसके 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थाई सदस्य हैं जिसमें

अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस शामिल है। जबकि 10 अस्थाई सदस्य होते हैं जिनका चुनाव महासभा करती है। ये इसलिए भी अलोकतांत्रिक है क्योंकि 5 स्थाई सदस्य है उन्हें निषेध अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब है कि यदि किसी प्रस्ताव को कोई भी एक स्थाई सदस्य नाकार देगा तो वह प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र यह सबसे प्रभावशाली अंग है क्योंकि इसके प्रस्ताव बाध्यकारी होते हैं।

दूसरी ओर महासभा के प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होते हैं।

3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय :- इस अंग का मुख्य कार्य है सदस्य देशों के बीच किसी प्रकार का विवाद को सुलझाना। इसमें कुल 15 न्यायधीस होते हैं। इन न्यायधिसों का चयन संयुक्त राष्ट्र, महासभा एवं सुरक्षा परिषद् साथ मिलकर करते हैं।

इसका एक और कार्य है और वह है संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को वैधानिक सलाह प्रदान करना।

4. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद :- इसके कुल 54 सदस्य होते हैं। इस संगठन का मूल कार्य है सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को गति प्रदान करना। यह संगठन मुख्य तौर पर गरीबी निवारण, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार आदि के क्षेत्र में कार्य करता है।

Scanned with OKEN Scanner

5. सचिवालय :- इस अंग का कार्य है संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों को देखना एवं उनकी व्यवस्था करना। यह अन्य अंगो को सहायता प्रदान करता है। ताकि वे सुचारु रूप से कार्य कर सके। इसमे लगभग 41,000 कर्मचारी कार्य करते हैं जो विश्व भर के होते है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस (पुर्तगाल) के हैं। इसके प्रथम महासचिव थे - ट्रिग्वे ली (नॉर्वे) के थे।

6. न्यास परिषद :- इसे बनाया इसलिए गया था ताकि 11 ट्रस्ट क्षेत्र का प्रशासन देखा जा सके। हॉलाकि 1994 में इसे स्थगित कर दिया गया, क्योंकि तब तक ये सारे ट्रस्ट क्षेत्र स्वतंत्र हो चुके थे।

13/12/23 इन छ: अंगो के अलावा संयुक्त राष्ट्र के कई विशेषीकृत एजेंसियाँ भी काम करती है। जैसे :- खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के कई कार्यकर्ता भी चलते है जैसे :-

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) एवं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष (UNICEF)।

Date 03/01/24

शांति एवं सामाजिक आर्थिक विकास में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका :-

'लीग ऑफ नेशन्स' (League of Nations) जो कि 1920 में बनी, वह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रही। 1945 में जब द्वितीय विश्व

युद्ध का अंत हुआ तो विश्व भर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह था अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग स्थापित करना।

हालांकि यह भी उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते-होते दो बड़ी महाशक्तियों (अमेरिका एवं सोवियत संघ) के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। यह शीत युद्ध सोवियत संघ के विघटन (1991) तक चला। इस शीत युद्ध का परिणाम यह रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ इन विवादों को सफलतापूर्वक नहीं निपटा सका जहाँ पर इन दोनों महाशक्तियों में से कोई भी देश का हित जुड़ा हो।

इसके बावजूद इस दौर में संयुक्त राष्ट्र ने कई विवाद सुलझाए, संघर्ष विराम लगाया। संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धि उन क्षेत्रों में देखी जा सकती है जहाँ राजनीति नहीं है। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी निवारण, शरणार्थियों की देखभाल, मानव अधिकार, पर्यावरण इत्यादि।

संयुक्त राष्ट्र की सफलता एवं असफलता ज्ञात करने के लिए हमें निम्नलिखित संघर्षों को देखना होगा।

(1) इज़राइल - फिलिस्तीन संघर्ष :- इज़राइल और फिलिस्तीन का विवाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पास गया। अगले वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को बाँटकर इज़राइल नामक नया देश तैयार कर दिया। इज़राइल यहूदी (~~Jews~~ (Jews) बहुल देश है। संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले को न तो फिलिस्तीन और न ही अरब के देश मानने

को तैयार हुए। परिणाम ये हुआ कि इज़राइल और फिलिस्तीन का तीन बार युद्ध हुआ। 1948, 1967 एवं 1973 में। इस समस्या का समाधान आज तक नहीं निकला क्योंकि अमेरिका इज़राइल का शुरू से ही साथी रहा है।

② कोरिया युद्ध (1950-53) :- 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया एक साम्यवादी देश है और इस वजह से उसकी सोवियत संघ से निकटता है।

जब यह मामला सुरक्षा परिषद् में उठा तब वहाँ सोवियत संघ अनुपस्थित था। इसी का फायदा उठाते हुए अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् से एक प्रस्ताव पारित करा लेता है और तत्पश्चात दक्षिण कोरिया की मदद के लिए वहाँ संयुक्त राष्ट्र की सेना को जाना पड़ता है।

देखा जाए तो इस संघर्ष को खत्म करने में जितनी भूमिका संयुक्त राष्ट्र की नहीं है उससे अधिक अमेरिका की है।

③ सुएज़ नहर संघर्ष (1956) :- इस विवाद की शुरुआत तब होती है जब मिश्र की राष्ट्रपति, सुएज़ नहर का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। इसके विरोध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा इज़राइल, मिश्र के ऊपर हमला बोल देते हैं। यह मामला संयुक्त राष्ट्र जाता है जहाँ सुरक्षा परिषद् कुछ नहीं कर पाता है।

तत्पश्चात् महासभा के दबाव में इजराइल, ब्रिटेन तथा फ्रांस को मिस्र से हटना पड़ता है। गौरतलब है कि अमेरिका और सोवियत संघ भी यही चाहता था।

(4) ईरान-इराक युद्ध (1980-88) :- इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुलझा लिया। विवाद सुलझाने का एक और बड़ा वजह था कि दोनों ही पक्ष युद्ध से थक चुके थे।

(5) खाड़ी युद्ध (1990-91) :- 1990 में इराक के शासक सद्दाम हुसैन कुवैत के ऊपर आक्रमण कर देते है। यह विवाद सुरक्षा परिषद् जाता है और उसके बाद कुवैत की मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अपनी सेना को भेजता है। इराक को लड़ाई से पीछे हटना पड़ता है।

गौर किया जाए कि कुवैत को मदद इसलिए मिली क्योंकि उसके पास तेल का अथाह भंडार है और पश्चिम के देशों को वह तेल प्रदान करता है।

Date 5/04/19

विवाद समाधान के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों विफल दिखाई पड़ता है?

(i) संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थाई सदस्यों के बीच तनाव एवं सहयोग की कमी।

(ii) इसके सदस्य परस्पर सहयोग की भावना विकसित कर पाते।

Scanned with OKEN Scanner

(iii) स्थाई सदस्यों को निषेध अधिकार (Veto Power)।

(iv) फंड की कमी।

(v) संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कोई सेना नहीं है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ Questions)

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक स्थापना किस दिन हुई?
→ 24 अक्टूबर 1945।

2. किस तारिख को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है?
→ 24 अक्टूबर

3. किसने संयुक्त राष्ट्र का नामकरण किया था?
→ फ्रैंकलीन डी. रूजवेल्ट (Frankline D. Roosevelt)

4. संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का विचार सर्वप्रथम कब और कहाँ आया था?
→ डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन (1944)

5. संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ तैयार किया गया था?
→ सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (26 जून 1945)

6. संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशो ने हस्ताक्षर किया था?
→ 50 देशों ने

7. संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करती थी?

→ लीग ऑफ नेशन्स (1920)

8. संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं?
→ 6 अंग (1994 में न्यास परिषद् को अंग कर दिया गया इसलिए आज केवल 5 ही अंग कार्य कर रहे हैं।

9. संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएँ कौन-कौन सी हैं?
→ 6 भाषाएँ (अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी)

10. संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश हैं?
→ 193 सदस्य (2011 में दक्षिण सुडान इसका सदस्य बना)

11. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नाम बताएँ।
→ एन्टोनियो गुटेरस (पुर्तगाल के नागरिक)

12. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे?
→ ट्रीगवेली (नॉर्वे के नागरिक

Date 08/01/24

Chapter-2 (United Nation General Assembly)

संयुक्त राष्ट्र महासभा

संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग महासभा है। कुछ विद्वानो ने इसे 'विश्व की लघु संसद' की संज्ञा दी है। समस्त सदस्य जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ली हुई है उन्हे महासभा में बैठने का अधिकार है। इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार (सितम्बर के महीने में) न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। आज इसके कुल 193 सदस्य है।

महासभा में सभी सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट देने का अधिकार है। प्रत्येक सदस्य वाद-विवाद में भाग लेने का अधिकार रखते है। यदि देखे तो महासभा विश्व लोकमत का एक प्रतीक बन गया है। इन तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि महासभा एक पूर्ण लोकतांत्रिक अंग है।

साधारण विषयों पर मतदान सदस्यों के साधारण बहुमत (50% +1) से होता है। हालांकि महत्वपूर्ण मुद्दो पर मतदान विशेष बहुमत (2/3) से होता है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे है :-

(i) अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के विषय में सिफारिशें।
(ii) सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन।
(iii) आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन
(iv) संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों का प्रवेश।
(v) सदस्यों का निष्कासन।
(vi) बजट संबंधी प्रश्न।

प्रत्येक अधिवेशन में महासभा अपने अध्यक्ष का चयन करता है जिसका कार्यकाल कुल 1 वर्ष होता है। 1953 में इसके 8वें अधिवेशन के दौरान भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित उसकी अध्यक्ष बनी थी। विशेष

परिस्थितियों में महासभा की आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकती है।

अधिकार और कर्त्तव्य :-

(i) महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद् के 10 अस्थाई सदस्यों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के 54 सदस्यों तथा न्यास परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन होता है।

(ii) सुरक्षा परिषद् के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर महासभा वाद-विवाद कर सकती है।

(iii) सुरक्षा परिषद् तथा अन्य अंग अपने वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं और महासभा में इसपर विचार होता है। किन्तु सुरक्षा परिषद् के रिपोर्ट पर आलोचना के सिवा महासभा कुछ नहीं कर सकती।

(iv) महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों को निर्वाचित करने का अधिकार रखता है। यह अधिकार समान रूप से सुरक्षा परिषद् को भी है।

(v) संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की नियुक्ति भी महासभा सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर करती है।

(vi) संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट महासभा द्वारा ही स्वीकृत होता है। अतः महासभा का अन्य अंगों पर अपने आप ही आर्थिक नियंत्रण हो जाता है।

(vii) महासभा के पास राष्ट्रों को निष्कासित करने का भी अधिकार है। यदि सुरक्षा परिषद् उसे सलाह दे तो।

Scanned with OKEN Scanner

महासभा के अनिवार्य कार्य :-

(i) बजट पारित कराना।
(ii) सुरक्षा परिषद् तथा अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करना।
(iii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, शिक्षा तथा स्वस्थ के संबंध में अध्ययन तथा जाँच पड़ताल करवाना।

चार्टर द्वारा महासभा को यह अधिकार प्राप्त है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मसला उसके समक्ष पेश हो सकता है। केवल सदस्य देशों के घरेलू मुद्दे यहाँ पर चर्चा के लिए नहीं आते। यदि विश्व के किसी देश में ऐसी सरकार है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को नुकशान पहुँचाए तो उसके पड़ोसी राष्ट्र या कोई अन्य राष्ट्र महासभा में इस प्रश्न को उठा सकते हैं, और तत्पश्चात सदस्यों द्वारा उसकी आलोचना भी की जा सकती है।

महासभा का महत्व :-

(i) महासभा एक लोकतांत्रिक अंग है। यह विश्व लोकमत का प्रतीक है। इसके निर्णयों के पीछे जनमत की शक्ति होती है। जिसकी उपेक्षा करना किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं होता।

(ii) महासभा को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं उन्हीं में एक है राज्यों के आपसी विवादों को दूर करना।

Date 09/03/24

(iii) सुरक्षा परिषद् में निषेध अधिकार के बार-बार प्रयोग होने के कारण अनेक बार महासभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। 1950 के

कोरिया युद्ध के दौरान इसने शांति के लिए एकता प्रस्ताव (Unity Uniting For Peace) पारित किया था। इसके कारण हम महासभा की शक्तियों में आपार वृद्धि देखते हैं।

(iv) संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के कारण कहीं न कहीं महासभा की शक्तियों में भी वृद्धि हो रहा है। स्थापना के दौरान महासभा के 51 सदस्य थे। आज इसके 193 सदस्य हैं।

(v) महासभा को विश्व की क्षुद्र लघु संसद भी कहते हैं क्योंकि इसमें तमाम मुद्दों पर बहस किया जाता है। जैसे :- मानव अधिकार, पर्यावरण, आतंकवाद, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन आदि।

महासभा की भूमिका का मूल्यांकन :-

महासभा तमाम विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों एवं वैश्विक संकट पर चर्चा किया जाता है। विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में भी इसने प्रमुख योगदान दिया है।

हलांकि इसके प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होते जिससे कि उनका महत्व घट जाता है। यह सुरक्षा परिषद के सामने बौना / छोटा दिखाई पड़ता है।

Date 09/02/24

Chapter-3 : Security Council
(सुरक्षा परिषद्)

Page No: ...... Date: ..|..|...

संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने विश्व शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक ऐसे अंग का गठन किया है जिसकी सदस्यता यूँ तो सीमित है लेकिन शक्तियाँ बहुत व्यापक है और इसी संस्था को सुरक्षा परिषद् के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 प्रमुख सदस्य देश हैं जो कि महाशक्तियाँ हैं। वे सभी सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्य भी हैं। उनके नाम हैं:-

(i) अमेरिका
(ii) रूस
(iii) चीन
(iv) फ्रांस
(v) ब्रिटेन

Date 10/02/24

सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। यह अंग निरंतर काम करता है, जिसप्रकार से मानव शरीर का हृदय। कुछ विद्वानों ने इसे विश्व का पुलिसमैन (Policeman) कहा है। इसके कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 स्थाई सदस्य हैं (P5)। 10 अस्थाई सदस्य भी हैं। इसमें जिनका जिनका निर्वाचन महासभा करती है और ये दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये 10 अस्थाई सदस्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 5 सदस्य एशिया अफ्रीका से होते हैं, 2 सदस्य दक्षिण अमेरिका से होते हैं, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से और बाकी के दो सदस्य पश्चिम यूरोप तथा अन्य जगहों से होते हैं।

सुरक्षा परिषद् के भीतर मतदान इस प्रकार होता है :- हर देश को एक वोट होता है और निर्णय निर्माण के लिए 15 में से 9 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। लेकिन शर्त है कि सभी के सभी स्थाई सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करे। यदि किसी भी एक स्थाई

Scanned with OKEN Scanner

सदस्य ने निषेध अधिकार (veto Power) का प्रयोग कर दिया तो वह प्रस्ताव नहीं के नहीं भंग हो जाएगा।

सुरक्षा परिषद् की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शांति स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके लिए सुरक्षा परिषद् , शांति सेना (Peace keeping Forces) को तनाव ग्रस्त क्षेत्रों में भेजता है साथ ही साथ चार्टर का उल्लंघन करने वाले सदस्यों के खिलाफ यह आर्थिक प्रतिबंध (Economic Sanctions) का भी प्रयोग करता है। जरूरत पड़ने पर यह सैन्य हस्तक्षेप (Military Intervention) का भी प्रयोग करता है।

सुरक्षा परिषद् में भारत की भूमिका :-

भारत कुल 8 बार सुरक्षा परिषद् का अस्थाई सदस्य रह चुका है। भारत ने 1948 में तैयार की गई मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र (UDHR) के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। साथ ही साथ इसने महत्वपूर्ण निर्णयों में भी भागीदारी की है जिनका संबंध विवादों को मिटाना है और शांति बहाल करना है। भारत ने अब तक कुल 43 शांति मिशनों में भाग लिया है जहाँ उसके करीब 1 लाख 60 हजार से भी अधिक सैनिक एवं पुलिस के जवान लगाए जा चुके हैं।

भारत के पक्ष में जो बात की जाती है वो ये है कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है, भूखंड है, GDP (सकल घरेलू उत्पाद) और एक अच्छी आर्थिक क्षमता है। भारत की एक बहुत प्राचीन सभ्यता है। हमने सदैव ही लोकतंत्र में विश्वास रखा है। भारत ने कभी भी संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों को सफल बनाने में हर संभव प्रयास किया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते

Scanned with OKEN Scanner

हुए * भारत सुरक्षा परिषद् के अंदर अपने लिए स्थाई सदस्यता की माँग कर रहा है।

सुरक्षा परिषद् की कमियाँ :-

(i) P5 सदस्यों को निषेध अधिकार (Veto Power) :- कई मौकों पर देखा जाता है कि जो स्थाई सदस्य हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीति करते हैं। जहाँ कोई काम परस्पर सहयोग की भावना से होनी चाहिए वहाँ कोई काम सुरक्षा परिषद् नहीं कर पाता है इसकी वजह है निषेध अधिकार का दुरुपयोग।

(ii) बैठकों से संबंधित रिकॉर्ड का अभाव :- सुरक्षा परिषद् की जो बैठकें होती हैं उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता और इसलिए उसपर बहस, संशोधन या आपत्ति जाहिर करना संभव नहीं।

निष्कर्ष :- समय की माँग है कि सुरक्षा परिषद् में जो शक्ति का असंतुलन विद्यमान है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए और नए सदस्यों को स्थाई सदस्यता का मौका मिले। इसलिए आज माँग की जा रही है रशिया, अफ्रिका, और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पुर्णनिरक्षण हो। ऐसा होने पर सुरक्षा परिषद् अपने उद्देश्यों को और अधिक कुशलता एवं दक्षता से प्राप्त कर पाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

Date 18/01/24

Chapter-4 : Secretariat (सचिवालय)

Page No: .... Date: ..../..../....

परिचय :-

सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह एक स्थाई संस्था है जिसका काम हमेशा चलता रहता है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रशासनिक अंग है। सचिवालय में महासचिव एवं अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद् के शिफारिश पर महासभा करता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्, न्यास परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के लिए कर्मचारी नियुक्त होते हैं, वे सभी सचिवालय के ही भाग होते हैं। उनकी नियुक्ति में यथा संभव भौगोलिक आधार को महत्व दिया जाता है। न तो महासचिव और न ही अन्य कर्मचारी किसी दूसरे अधिकारी से अनुदेश मांगेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर हो। कहने का मतलब है कि नियुक्ति के बाद सचिवालय के सभी कर्मचारी विश्व नागरिक हो जाते हैं और सभी के सभी कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति जवाबदेह होता है।

महासचिव :-

महासचिव का पद सचिवालय के शीर्ष पर होता है। राष्ट्र संघ में महासचिव को बहुत अ आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत महासचिव की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं। वह न केवल प्रशासनिक कामों को करता है, बल्कि सुरक्षा परिषद् को सलाह भी दे सकता है। तब जब उसे लगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा खतरे में है।

(राष्ट्र संघ ↓ लीग ऑफ नेशन्स)

Scanned with OKEN Scanner

Date 24/01/24

Page No: ......
Date: .../.../...

महासचिव के कार्य :-

(i) समान्य प्रशासन :- महासचिव संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वह इस हैसियत से संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की बैठको में भाग लेता है, और इन सभी कार्यों को पूरा करता है जो उसे सौंपा जाता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करता है। जिसे महासभा में बहस के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

(ii) तकनीकि कार्य :- महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकि कार्यों को भी पूरा करता है।

(iii) वित्तीय कार्य :- महासचिव इस बात को देखता है कि संयुक्त राष्ट्र के बजट का उपयोग सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं। वह संयुक्त राष्ट्र का बजट तैयार करता है और खर्च के लिए उत्तरदायी भी होता है।

(iv) सचिवालय का प्रशासन :- महासचिव के ऊपर सचिवालय के प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। वह सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति कराता है।

(v) प्रतिनिध्यात्मक कार्य (प्रतिनिधित्व करना) :- महासचिव विभिन्न सरकारों के साथ वार्ता वार्ताओं में संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है।

Scanned with OKEN Scanner

(vi) राजनीतिक कार्य :- महासचिव को एक विशेष शक्ति दी गई है और वह यह है कि वह किसी ऐसे मामले की ओर सुरक्षा परिषद् का ध्यान खींच सकता है जहाँ उसे लगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।

महासचिव की भूमिका :-

महासचिव के पास अपार शक्तियाँ हैं उसे प्रशासनिक कार्य के साथ-साथ राजनीतिक कार्य भी सौंपे गए हैं। वह महासभा में संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों एवं समस्याओं पर वह अपनी सुझाव रखता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का वित्त भी संभालता है और उसके प्रति उत्तरदायी भी होता है।

Date 25/04/24

5. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO))

UNESCO की स्थापना :- 16 Nov 1945
" " मुख्यालय :- पेरिस (फ्रांस) में है।

परिचय :- UNESCO विश्व भर के अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों की शिक्षा, विज्ञान, तकनीक तथा संस्कृति के स्तर को उच्च उठाने का लक्ष्य रखता है। यह संगठन इन राष्ट्रों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है तथा शैक्षिक योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। इसके कुल 194 सदस्य देश है।

UNESCO के कार्य निम्नलिखित है :-

(i) शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति का विस्तार करना।

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिजीवियों का सहयोग प्राप्त करना :- सदस्य राज्य अपने देशो में राष्ट्रीय आयोगो की स्थापना करके व्यापक रूप से शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा संस्कृतिक कार्यों को पूरा करते है।

(iii) शिक्षा :- UNESCO का प्राथमिक लक्ष्य रहा है शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना। UNESCO प्रतिबद्ध है कि हर व्यक्ति तक मुक्त एवं समावेशी शिक्षा पहुँचे। बिना किसी भेदभाव के।

(a) UNESCO शैक्षिक नीतियों को तैयार करने में सदस्य राज्यों को सहयोग करता है और निरन्तर प्रयत्नशील रहता है कि हर बच्चों को शिक्षा मिले यह भी गुणत्वापूर्ण शिक्षा।

Scanned with OKEN Scanner

(iv) विज्ञान :- UNESCO सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एवं साथ ही साथ वैश्विक समस्याओं से निकलने के विज्ञान एवं तकनीक को आवश्यक मानता है। UNESCO इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग एवं विज्ञान के प्रसार को महत्व देता है। इसके साथ ही साथ यह बढ़ावा देता है देशों के बीच विचारों का आदान प्रदान करने में। इससे यह लाभ होगा कि विश्व भर के वैज्ञानिक अपने विचारों को बाँटेंगे और विज्ञान का भरपूर लाभ उठायेंगे।

(v) संस्कृति :- UNESCO सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए प्रतिबंध है। इन सांस्कृतिक धरोहरों में प्राचीन इमारतें, रहन-सहन एवं भाषा शामिल है। विश्व धरोहर स्थल कार्यक्रम (World Heritage Sites Program) उन महत्वपूर्ण स्थलों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने का एक प्रयास है जिनका वैश्विक महत्व होता है।

(vi) गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करना :- बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों आदि के गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करके UNESCO ने उनका विकास किया है।

(vii) लेखकों, कलाकारों तथा वैज्ञानिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना।

(viii) सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान के विकास पर बल :- सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में UNESCO ने शोध (Research)

के लिए सराहनीय योगदान दिया है। उसने अनेक देशों में सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थापित करने के लिए विशेषज्ञ भेजे हैं। वहीं दूसरी ओर इसने वैज्ञानिक सहयोग की पृष्ठभूमि का उचित निर्माण किया है।

(ix) प्रेस, रेडियो, फिल्म तथा दूरदर्शन दूरदर्शन के विस्तार पर बल देना।

(x) साहित्य कला, संगीत नाटक तथा लोक कलाओं को प्रोत्साहित करना।

(xi) मानव अधिकार तथा शांति को प्रोत्साहन देना :- मानव अधिकारों के क्षेत्र में UNESCO प्रारंभ से ही जातिवाद, नस्लवाद तथा सांप्रदायिकता की आलोचना करता रहा है।

Date 31/01/24

विश्व स्वास्थ्य संगठन

WHO (World Health Organisation)

Page No:........ Date: ..../..../....

स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है। इस संगठन का प्रमुख कार्य विभिन्न देशों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत इकाई है। इसके कुल 194 सदस्य देश है।

इस संगठन के प्रादेशिक संगठन अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी भूमध्य सागर तथा पश्चिमी महासागरों के क्षेत्र में स्थित है।

संगठन के उद्देश्य (Objectives of the Organisation)

विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रस्तावना में लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य का यह मौलिक अधिकार है कि उसे उच्चतम ~~स्वास्थ्य~~ की स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो। संसार की शांति एवं सुरक्षा प्राप्त हो। संसार की शां के लिए आवश्यक है कि सभी मनुष्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। जैसे :-

(i) जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलना, बाल रोगों का उन्मूलन करना तथा प्राथमिक अथ प्राकृतिक आपदाओं के समय बच्चों की रक्षा करना।

(ii) स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण।

(iii) माताओं एवं बच्चों के कल्याण कार्यों को सुनिश्चित करना।

Scanned with OKEN Scanner

Page No: ...... Date: .../.../...

(iv) लोगों के आहार, निवास तथा सफाई के कार्यों को बढ़ावा देना।

(v) क्षय रोग (TB) तथा एड्स (AIDS) जैसी बिमारियों के लिए रोक थाम करना।

(vi) मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपायों को संपन्न करना।

(vii) महामारियों के उन्मुलन हेतु शोध करना।

(viii) स्वास्थ्य औषधियों का परामर्श उपलब्ध कराना।

(ix) बिमारियों के अंतर्राष्ट्रीय नामों को निर्धारित करना।

(x) महामारियों से संबंधित सूचनाओं को प्रसारित करना।

विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने उद्देश्यों को बहुत हद तक प्राप्त कर चुका है। इसके अच्छे परिणाम निकले है। जैसे विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में मलेरिया कम हो गया है। इस संगठन के सलाहकारों ने प्रभावी भूमिका निभायी है। वर्तमान समय में WHO पोलियों तथा एड्स जैसी घातक बिमारियों को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। विशेष तौर पर पिछड़े एवं विकासशील राष्ट्रों को यह आर्थिक एवं तकनीकि मदद दे रहा है।

WHO प्रतिवर्ष छात्रवृति (Scholarship) प्रदान करता है जिससे डॉक्टर एवं नर्सें विदेशों में जाकर अध्ययन कर सके। यह स्वास्थ्य समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सेमिनार भी आयोजित करता है। रोगों के प्रसार को रोकने का कार्यक्रम में

Scanned with OKEN Scanner

भी यह सहयोग करता है। साथ-साथ कई गंभीर एवं घातक बिमारियों पर यह शोध कर रहा है।

WHO की उपलब्धियाँ :-

(i) मलेरिया को समाप्त करने में निर्णायक भूमिका।

(ii) संक्रमक रोगों को रोकने के लिए टेलीविजन तथा रेडियो पर प्रचार-प्रसार करवाना।

(iii) मानसिक स्वास्थ्य के कार्यों में, आहार, सफाई आदि क्षेत्रों में भरपूर काम।

इसी तरह विशेषज्ञयों के द्वारा क्षय रोग (TB), मातृ एवं बाल-सुरक्षा, पोषण एवं स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में काम।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण एवं सेमिनार का आयोजन।

(v) गंभीर बिमारियों पर शोध कार्य।

WHO की कमियाँ :-

(i) इसके पास वित्तीय साधन सीमित है जिससे अपने कार्यों को एवं उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ रहा है कुछ हद तक।

(ii) यह संगठन शक्ति राजनीति (Power-politics) से पूरी तरह मुक्त नहीं है।

(iii) सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषयों में मतभेद होने के कारण WHO के अंतर्गत भी मतभेद देखने को मिलता है।

Date 10/02/24

Chapter-6 : Settlements of International Disputes Under UN

(अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान)

किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ये व्यवस्था जरूर होती है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांति पूर्वक हल किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित UNO के चार्टर में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए विवादों का शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाए। चार्टर का अनुच्छेद-2(3) कहता है कि सदस्य राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिमय उपायों से इस प्रकार तय करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अथवा न्याय भंग ना हो।

अनुच्छेद-2(4) कहता है कि सदस्य राज्यों का कर्तव्य है कि वे अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक दूसरे की अखंडता प्रादेशिक अथवा राजनीतिक स्वतंत्रता अथवा चार्टर के उद्देश्य को किसी प्रकार से बल का प्रयोग नहीं करेंगे ना ही धमकी देंगे।

शांतिपूर्ण सामाधान हेतु अपनाएं जाने वाली प्रक्रिया है:-

चार्टर के अनुच्छेद-33 से 38 तक शांति पूर्ण समाधान के उपाय बताए गए हैं। जो इस प्रकार है:

(i) **वार्ता (Negotiation) :-** इसके द्वारा सरकारे आपसी मतभेदों पर विचार विमर्श कर के उसका हल ढूंढती है। ये वार्ताएं सीधे राज्य अध्यक्षों के बीच होती है। या फिर उनके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच अल्पसंख्यकों की संख्या तथा नहर पानी विवाद वार्तालाप के द्वारा सुलझाया

गया था।

(ii) वाद-विवाद (Discussion) :- महासभा अथवा सुरक्षा परिषद् कोई भी सिफारिश करने से पहले लड़ रहे दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को अपने-अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती है। इसका यह लाभ है कि यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आता है जहाँ कि दोनों पक्षों पक्ष खुलकर अपनी बात रख सके सकते हैं। साथ ही साथ UNO के अन्य सदस्य मामलों को और निकटता से जान पाते हैं। जिससे कि की उनके द्वारा कोई समझौता कराया जा सके।

(iii) मध्यस्थता (Mediation) :- जब विवाद को आपसी समझौते द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता, तब कोई तीसरा मित्र राज्य मध्यस्थता करके इसको खत्म करने में अपना योगदान देता है। ये तीसरा राज्य (Third Party) उन्हें साथ बैठाकर कोई सुलझाव प्रदान करता है। जिसे मानना या न मानना राज्य / विवादी पक्षों के ऊपर है।

(iv) सौमनस्य (Conciliation) :- ये विवाद समाधान की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवाद सुलझाने का काम कुछ व्यक्तियों के द्वारा गठित आयोग को सौंपा जाता है। यह आयोग दोनों विवादी पक्षों की बात सुनता है तथा तथ्यों को देखते हुए रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट में विवाद हल करने के लिए कुछ प्रस्ताव होते हैं जिसे मानना या ना मानना विवादी पक्षों के ऊपर है।

(v) जाँच (Enquiry) :- सुरक्षा परिषद् किसी ऐसे मसले को हेरत सकता है और उसकी जाँच पड़ताल कर सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष या विवाद खड़ा कर रहा हो। ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाने पर सुरक्षा परिषद् को यह अधिकार है कि वो उचित कार्यवाही करे या फिर विवाद हल करने की सिफारिश करे।

(vi) पंच निर्णय (Arbitration) :- वार्ता, मध्यस्थता, सौमनस्य, जाँच ये ऐसे उपाय हैं जो विवादी पक्षों के ऊपर बाध्य नहीं होते। कहने का मतलब है कि इन उपायों के द्वारा दिए गए सुझावों को मानना या न मानना विवादी पक्षों के हाथ में होता है।

पंच निर्णय एक ऐसा उपाय है जिसे मानना ही पड़ेगा। कोई भी विवादी पक्ष पंच निर्णय द्वारा सुनाया गया फैसला को ठुकरा नहीं सकता। दो या अधिक राज्य पंच निर्णय की संधि कर सकते हैं। इनके अनुसार उनके विवाद पंच के फैसले के लिए छोड़ दिया जाएगा।

(vii) न्यायिक समाधान (Judicial Settlement) :-

अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने का एक बहुत अच्छा उपाय है उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) के पास ले जाए। संघ का प्रत्येक सदस्य बाध्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानेगा।

Scanned with OKEN Scanner

यदि कोई पक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता है तो दूसरा पक्ष इसे सुरक्षा परिषद में ले जा सकता है। सुरक्षा परिषद को हक है कि वो मामले में हस्तक्षेप करे और आवश्यक कार्यवाही करे।

UN चार्टर के अध्याय - 7 में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसमें बल प्रयोग का वर्णन मिलता है यदि विवादी पक्ष शांतिपूर्वक बात को नहीं हल कर पाते हैं तो सुरक्षा परिषद को यह अधिकार दिया गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए बल का प्रयोग करे। चार्टर उल्लंघन करने वाले पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और जरूरत पड़ने पर प्रभावी क्षेत्रों में शांति सेना भेजे।

Date 07/02/24

Chapter-7 : Revision of Charter
(UN चार्टर का पुनरीक्षण / संशोधन)

Page No:.......
Date:...../...../.....

1945 में UNO की स्थापना की गई थी, इस उद्देश्य के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को बढ़ावा मिले। लेकिन चिंताजनक बात यह था कि वह दौर था शीत युद्ध का। शीत युद्ध एक वैचारिक लड़ाई थी अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच और इसने UNO की कार्य कुशलता को कम कर दिया। कई मौको पर UNO अपने उद्देश्य को पूरा करने में नाकाम दिखाई पड़ा। इसके कई वजह थे।

(i) पाँच बड़ी महाशक्तियों के बीच समन्वय का अभाव। विशेष तौर पर अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच। इन दोनों ने UNO को राजनीति का अड्डा बना दिया और अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने में लगे रहे।

(ii) UNO का चार्टर स्वयं।
गौरतलब है कि UN चार्टर को बनाने में इन्हीं महाशक्तियों का हाथ था। 1945 में खत्म हुई द्वितीय विश्व युद्ध को मित्र राष्ट्रों ने जीता था। इसका यह परिणाम हुआ कि इन राष्ट्रो ने अपने जरूरत को देखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया जिसे नाम दे दिया UNO।

तब की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ समान नहीं है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् अमेरिका एक मात्र शक्ति बनकर उभरी, यही नहीं बल्कि चीन का भी बड़ा तेजी से अभिदय हुआ। तो वही दूसरी तरफ विश्व में ऐसे अनेक क्षेत्र उभरे उभरकर आए जो बहुत तेजी तेज विकास को प्राप्त किए। उदाहरण के लिए

Scanned with OKEN Scanner

दक्षिण पूर्व एशिया के देश तथा पूर्वी एशिया के देश। समय बदला और परिस्थितियाँ बदली, आज विश्व बहुध्रुवीय (Multipolar) बन चुका है। विश्व में आज 195 देश हैं। क्योंकि बहुत से छोटे-बड़े देश 1950 के बाद आजाद हुए।

जो एक चीज नहीं बदला वो है UN का चार्टर, क्योंकि आ 195 देशों के साथ भी वही महाशक्तियाँ आज भी बने हुए हैं। 1945 और 2024 में बहुत फर्क नहीं है। आज भी इन्हीं पाँच महाशक्तियों का वर्चस्व है UNO में।

UN चार्टर में निम्नलिखित बदलाव होने चाहिए :-

(i) चार्टर का अनुच्छेद - 2(7) कहता है कि UNO सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करेगा। वह किसी भी देश के आंतरिक मामले में दखल नहीं देगा।

लेकिन इस अनुच्छेद का दुरुपयोग हो रहा है। कई सारे देश हैं जहाँ मानव अधिकार का स्कोर्ड व रिकॉर्ड बहुत खराब है। मानव अधिकार का हनन बढ़ रहा है। वहाँ की सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकामयाब है। सबसे बुरा तो यह है कि UNO हाथ में हाथ डालकर देख रहा है। इसलिए कि यह आंतरिक मामला है। अतः इस अनुच्छेद में परिवर्तन होना चाहिए।

Date 18/02/24

Page No: ......
Date: ..../..../....

(ii) UNO के अंदर एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका का अल्प प्रतिनिधित्व चिंता का विषय है। इतने वर्षों के बाद भी सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता नहीं बढ़ाई गई। और तो और जो 5 स्थाई सदस्य हैं, उन्हें निषेध अधिकार प्रदान किया गया है। इसका दुरूपयोग वे कई मौकों पर किए हैं। अतः सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता बढ़ाने के साथ-साथ निषेध अधिकार का भी उन्मुलन कर देना चाहिए।
गौर करने वाली बात है कि UN सुधार में जो रोड़ा है वो इन्हीं 5 स्थाई सदस्यों के द्वारा अटकाया जाता है क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी अन्य देश को इनके बराबर अधिकार मिले। इन्हीं देशों ने कई बार UN स्थाई सदस्यता के दावेदारों के लिए विघ्न उत्पन्न किया है। इनकी मर्जी के बगैर न तो सदस्यता बढ़ाई जा सकती है और न ही निषेध अधिकार का उन्मुलन किया जा सकता है।

(iii) तीसरी बड़ी समस्या है UNO में फंड (Fund) की कमी। कई देश हैं जो अपने हिस्से का पैसा UNO को भुगतान (pay) नहीं करते। इससे इन विकास कार्यों को पूरा करने में UNO असमर्थ हो जाता है। और अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर पाता।
आज के समय में UNO के कई सारे विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्हीं में से प्रमुख है 17 लक्ष्य जो कि सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) के नाम से जाना जाता है। इन्हें 2030 तक प्राप्त कर लेना है। अतः जरूरी है कि UN के पास वित्तीय स्त्रोत हो।
(Financial Source)

सदस्य देशों को अपने हिस्से का चंदा देने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्य कर देना चाहिए। यह उनकी इच्छा पर नहीं होनी चाहिए, कि चाहे तो पैसा दे और न चाहे तो न दे।

(iv) आज के समय UNO को पक्ष पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाना चाहिए। इसके साथ ही साथ UNO के अंदर जो नौकरशाही प्रवृत्ति है तथा प्रशासनिक जटिलता है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए।

(v) UN के जो विशेषीकृत ईकाइयाँ हैं उनके कार्य स्पष्ट होना चाहिए। देखा जाता है कि कई सारे अंग तथा ईकाइयाँ एक ही काम को करती है।

Date 03/02/24

Chapter-8 : संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष चुनौतियाँ (Challenges before UN in the 21st Century)

21 वीं सदी में UN के ~~समक्ष~~ समक्ष कई सारी चुनौतियाँ है। जैसे :-

1. परमाणु अस्त्रो को ~~निर्मंत~~ नियंत्रित करना :- विश्व भर मे परमाणु अस्त्रो का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। इसके अप्रसार के लिए वर्तमान समय में ठोस कदम उठाया जाना चाहिए।

2. आतंकवाद की समाप्ति :- आतंकवादी गतिविधियाँ विश्व भर मे बढ़ रहे है। ये मानवता के लिए खतरा उत्पन्न करते है। आज के समय में यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो मुद्दा बन चुका है।

3. पर्यावरण संरक्षण :- सतत विकास लक्ष्य (SDG- Sustanable Development Goals) के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इस दिशा में अभी काम करना बहुत बाकी है।

4. ~~(iv)~~ परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग :- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग से परमाणु शस्त्रो की दुरूपयोग को रोका जा सकता है।

5. मानव अधिकारो का उल्लंघन :- विश्व के अनेक क्षेत्रों में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसकी सुरक्षा करना UN की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

Scanned with OKEN Scanner

Page No: .... Date: ..././....

6. <u>युद्ध रोकना</u> :- UN की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि विश्व भर में शांति की स्थापना हो एवं राष्ट्रों के बीच चल रहे युद्ध समाप्त किए जाए। परन्तु कई सारे अनसुलझे मुद्दे है जिसे हल करना बाकी है। जैसे :- रूस - यूक्रेन का युद्ध, अरब - इजराईल का युद्ध।
इसीप्रकार आज कई देश आपसी विवाद में लिप्त है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा, भारत और मालद्वीव के बीच रिश्तों में खटास, अरब और इजराईल के बीच झगड़ा आदि।

7. <u>विश्व में व्याप्त अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को खत्म करना</u> :- विश्व के अधिकांश विकासशील एवं अविकसित देशों में उपरोक्त समस्याएँ है जिसे खत्म करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इन सारे लक्ष्यों के अंतर्गत को SDG सतत विकास के लक्ष्य के अंतर्गत भी रखा गया है जिसे 2030 तक प्राप्त करना UN का उद्देश्य है।

8. <u>विकासशील, अविकसित एवं विकसित देशों के बीच आर्थिक असमानता</u> :- वर्तमान समय में विकसीत राष्ट्रों का प्राकृतिक संसाधनो पर अधिपत्य बना हुए हुआ है। विकसीत तथा विकासशील देशों के बीच आर्थिक खाई और भी गहराती जा रही है। विकसीत राष्ट्रों के द्वारा विश्व में अपना आर्थिक साम्राज्यवाद स्थापित किया जा रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

Page No: ......
Date: ..../..../....

UNO की सफलताएँ :-

1. <u>उपनिवेशवाद की समाप्ति में योगदान</u> :- 1960 में UNO ने घोषणा किया था कि उपनिवेशवाद को खत्म करना है। इसके बाद कई सारे राष्ट्र उपनिवेशवाद से मुक्ति पाए। इसी का प्रमाण है कि आज UNO के 193 सदस्य देश है जो 1945 में 51 थे।

2. <u>अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना</u> :- विउपनिवेशवाद एवं शीत युद्ध के दौर में कई सारे देश आपस में लड़ रहे थे। UNO ने इन विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का भरसक प्रयास किया।

3. <u>निःशस्त्रीकरण की ओर प्रयास</u> :- निःशस्त्रीकरण का अर्थ है शस्त्रों की संख्या कम करना या खत्म करना। इस दिशा में UNO ने बहुत काम किया जैसे 1968 का परमाणु अप्रसार समिति (N.P.T), आंशिक परीक्षण निरोध संधि (P.T.B.T), व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (C.T.B.T)।

4. <u>रंग-भेद समाप्त करने में योगदान</u> :-

5. सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग :- UNO के अभिकरण जैसे UNESCO, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन (ILO) आदि विश्व स्तर पर बहुत काम कर रहे हैं। विशेष तौर पर अविकसित एवं विकासशील देशों पर।

6. नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) :- संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक गंभीर विषय है और वो है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। इसके अंतर्गत विकासशील राष्ट्र वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ विकसित तथा विकासशील देशों के बीच व्यापक रूप से आर्थिक सहायता।

7. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र (UDHR) UDHR को UNO ने 1948 में पारित किया था। इसके अंदर 30 अनुच्छेद हैं। जिसमें मानव जाति की गरिमा, जीवन, स्वतंत्रता, वैधानिक समानता, विचार अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साही करना :- UNO एक ऐसा मंच है जो सभी देशों को आवाज प्रदान करता है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों, प्रजातियों, धर्मों, विचारधाराओं तथा मान्यता वाले व्यक्ति एकत्र एकत्रित होकर वार्ताएँ, गोष्ठियों गोष्ठियाँ, सम्मेलन करते हैं। अनेक वैश्विक मुद्दों पर बहस किया जाता है और उनके समस्याओं का

समाधान ढूंढा जाता है

9. अन्य कार्य :- UNO ने कई क्षेत्रों में कार्य किया है और कर रहा है। जैसे गृह युद्ध खत्म करने में, आपदा प्रबंधन में, पर्यावरण संरक्षण में, स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने में, जरूरत मंदों की सहायता में आदि।